९. अन्य अधिनियम

ऐसे कौन से अन्य अधिनियम हैं जो जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं ? उनका एक साधारण परिचय यहाँ दिया गया है। क्या कोई विशेष अधिनियम आप पर लागू होता है ? कई परिस्थितियों में बिना विस्तृत अध्ययन के यह कहना कठिन होता है। इसलिए, इस संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने अङ्केक्षकों या वकीलों से संपर्क करें।

लोग प्रायः पूछते हैं कि भविष्य-निधि एवं उपदान (ग्रेच्युटी) आदि का भुगतान करने के लिए हमारे पास धन कहाँ से आएगा? जब कोई दातव्य संस्था एक बजट पर सहमत होती है तो वेतन के आँकड़े कुल आँकड़े होते हैं। इसमें सभी कर्मचारी-लाभ सम्मिलित होते हैं। इसलिए आप इनके लिए अतिरिक्त धन की माँग नहीं कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में इनका भुगतान करने के लिए आपको वेतन राशि पर पुनर्विचार करना होगा।

क) भविष्य-निधि

भविष्य-निधि[१] मुख्य रूप से कारखानों पर लागू होती है। हालाँकि, सरकार ने इसका विस्तार कुछ अन्य संस्थाओं[२] के लिए भी कर दिया है जो कि कारखाने नहीं हैं। दोनों ही परिस्थितियों में भविष्य-निधि केवल तभी लागू[३] होती है जब कर्मचारियों की संख्या २० या उससे अधिक हो। जन-सेवी संस्थाओं या पुण्यार्थ संस्थाओं पर भी यह लागू[४] होता है यदि वे इस श्रेणी में आती हैं।

कर्मचारी कौन है ? कोई भी व्यक्ति, जो अपने कार्य के बदले में पारिश्रमिक पाता है, एक कर्मचारी है। वेतन को मानदेय का नाम देने से कुछ नहीं बदलता। इस सम्बंध[५] में कर्मचारी और नियोक्ता का सम्बंध महत्वपूर्ण है। अंशकालीन[६] कर्मचारी भी भविष्य-निधि के दायरे[७] में आते हैं। हालाँकि, आकस्मिक श्रमिक और अल्पावधि के लिए रखे गए कर्मचारी इस श्रेणी[८] में नहीं आते।

इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी जिनकी मासिक आय ६,५०० रुपये से अधिक है, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना[९] के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

१. भविष्य निधि के अन्तर्गत कार्यकलाप

अगर आप निम्नांकित वस्तुओं[१०] में से किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आप पर भविष्य-निधि अधिनियम लागू हो

---

[१] कर्मचारी भविष्य-निधि एवं अन्य प्रावधान अधिनियम, १९५२

[२] धारा १ (३) (ब) के अधीन

[३] जब बाद में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है तब भी भविष्य-निधि लागू होती है।

[४] वेंकटरमण डिस्पेन्सरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (१९८६) २ एल एल एन ९४२ (एम ए डी)

[५] श्री वरदराज स्वामी ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त ए आइ आर १९६६ एम ए डी ४६६

[६] पार्ट-टाइम

[७] टी आइ साइकिल्स ऑफ इंडिया बनाम इ एस आइ सी मद्रास, १९७७ लैब आइ सी १३३५; रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंक समिति लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, १९८० लैब आइ सी १२१२ राज०

[८] भविष्य-निधि निरीक्षक, गुंटुर बनाम टी एस हरिहरण, ए आइ आर १९७१ एस सी १५१९; क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, ए पी बनाम टी एस हरिहरण, (१९७१) २ एस सी सी ६८

[९] वे समवेश के लिए भविष्य-निधि आयुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे किसी संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों की गणना के लिए सामान्य कर्मचारी की तरह माने जाते हैं।

[१०] इसकी पूरी सूची भविष्य-निधि अधिनियम के अनुसूची - १ में दी गई है।

सकता है। याद रहे, आपके अधीन कम-से-कम २० कर्मचारी होने चाहिएः

- ❑ मुद्रण, जिसमें स्क्रीन-मुद्रण भी सम्मिलित है।
- ❑ चिकित्सा एवं औषध निर्माण, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ भी सम्मिलित हैं।
- ❑ अगरबत्ती, वस्त्र, नारियल या चमड़े की वस्तुएँ
- ❑ फलों एवं सब्जियों का बोतलीकरण और डिब्बाबंदी
- ❑ लेखन-सामग्री सम्बंधी वस्तुएँ
- ❑ दूध और दुग्ध उत्पाद

कुछ अन्य प्रकार के कार्यकलाप भी इसमे आते हैं। इसमें भी आपके अधीन कम-से-कम २० कर्मचारी होने चाहिए। सम्बंधित उदाहरण निम्नांकित हैंः

- ❑ लकड़ी का फर्नीचर, क्रीड़ा सामग्री, बेंत या बाँस के उत्पाद आदि का उत्पादन।
- ❑ लकड़ी के कारखाने
- ❑ ऐसी समितियाँ, क्लब या संगठन जो अपने सदस्यों को आवास, भोजन या अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- ❑ ऐसी समितियाँ, क्लब या संगठन जो नाट्य, आदि का आयोजन या मञ्चन टिकट के आधार पर करते हैं।
- ❑ ऐसी समितियाँ, क्लब या संगठन जो अपने सदस्यों को सदस्यता-शुल्क या चन्दे के आधार पर सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- ❑ अस्पताल जो किसी व्यक्ति, समिति या संस्थान द्वारा चलाये जाते हैं।
- ❑ विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, वैज्ञानिक या अनुसंधान संगठन
- ❑ जन-सेवी संस्थाओं द्वारा ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से चलायी जा रही ऋण योजनाएँ।

२· मासिक कटौतियाँ

एक बार जब भविष्य निधि लागू हो जाती है तो आपको कुछ राशि प्रत्येक महीने जमा करानी पड़ती है। यह राशि नियोक्ता (जन-सेवी संस्था) एवं कर्मचारी दोनों को देनी पड़ती है।

- ❑ कर्मचारी के मासिक वेतन से १२% राशि कटती है ।
- ❑ ३.६७% का अतिरिक्त अंशदान नियोक्ता (जन-सेवी संस्था) द्वारा किया जाता है।
- ❑ जन-सेवी संस्था को निवृति-वेतन (पेंशन) निधि में भी ८.३३% जमा कराना पड़ता है।

अंशदान की गणना वास्तविक मासिक वेतन के आधार पर करें। इसके लिए वेतन का अर्थ है मूल पारिश्रमिक, महँगाई भत्ता (जिसमें दी गयी भोजन रियायत भी शामिल हो) और अनुरक्षण भत्ता (अगर कोई हो)। इसकी गणना करते समय पैसों को नजदीकी रुपये में परिवर्तित करें।

जन-सेवी संस्थाओं को 'कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा' और 'प्रशासनिक व्यय' के रूप में कुछ अन्य राशि भी जमा करनी पड़ती है।

भविष्य निधि

- कर्मचारी से १२%
- नियोक्ता से ३·६७%

निवृति-वेतन (पेंशन) निधि

- नियोक्ता से ८·३३%
- सरकार से १·१६%

३· राशि को जमा करना

वेतन में से भविष्य निधि की राशि को घटाने के बाद आपको इसे १५ दिनों के अन्दर जमा करना होगाः

- अंशदान एवं प्रशासनिक व्यय के लिए अलग-अलग धनादेश (चेक) या बैंक-धनादेश (बैंक ड्राफ्ट) तैयार करें। निवृत्ति-वेतन (पेंशन) निधि की राशि का भुगतान भी अलग धनादेश द्वारा किया जाना चाहिए।
- धनादेश या बैंक-धनादेश "भविष्य-निधि आयुक्त" के नाम में होने चाहिए।
- प्रत्येक प्रकार के अंशदान को जमा करने के लिए पृथक भविष्य-निधि चालान का प्रयोग करें।
- धनादेश को भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा करें।

४. रिटर्न जमा करना

भविष्य-निधि में बहुत सारे कागज़ी कार्य समाहित होते हैं। कुछ संस्थाएँ इस कार्य को पूरा करने के लिए भविष्य-निधि विभाग से किसी अवकाश-प्राप्त कर्मचारी को रख लेती हैं। कुछ प्रारूप निम्नांकित हैं:

- अंशदान का मासिक विवरण (रिटर्न) प्रारूप संख्या १२अ में जमा किया जाना चाहिए।
- अंशदान का वार्षिक विवरण (रिटर्न) प्रारूप संख्या ६-अ में जमा किया जाना चाहिए।
- सदस्यों का अंशदान-पत्र प्रारूप संख्या ३अ में रखा जाना चाहिए।
- यदि कोई कर्मचारी छोड़ता है तो प्रारूप संख्या १० में भविष्य-निधि विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।
- नामाङ्कन के लिए सदस्यों द्वारा प्रारूप संख्या २ जमा किया जाना चाहिए।
- जब कोई नया कर्मचारी आता है तो प्रारूप संख्या ५ भरें।

५. दण्ड

भविष्य-निधि अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुछ दण्ड निम्नलिखित हैं:

उल्लंघन	कारावास	दण्ड
कर्मचारी का अंशदान जमा नहीं करना	एक से तीन वर्ष तक	१०,००० रुपये
निरीक्षण शुल्क या प्रशासनिक व्यय का भुगतान नहीं करना	छः महीने से तीन वर्ष तक	५,००० रुपये
भविष्य-निधि का भुगतान नहीं करने हेतु गलत विवरण बनाना	एक वर्ष तक	५,००० रुपये

ख) उपदान (ग्रैच्युटी)

जन-सेवी संस्थाओं[1] के लिए उपदान ६ सितम्बर १९९७ को लागू किया गया था। जन-सेवी संस्था के अधीन दस या इससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए। इसमें सभी कर्मचारी आते[2] हैं। कर्मचारी का अर्थ है - कोई भी व्यक्ति जो वेतन या पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया हो। वेतन या पारिश्रमिक को मानदेय का नाम देने से कुछ नहीं बदलता है।

१. अनिवार्य बीमा

सम्बंधित जन-सेवी संस्था को इसके लिए एक बीमा पॉलिसी भी लेनी चाहिए। इसके प्रीमियम का वार्षिक भुगतान किया जाता है। बीमा कम्पनी सम्भाव्य दायित्व के आधार पर प्रीमियम की गणना करेगी। यदि आपके पास ५०० से अधिक कर्मचारी हैं तो आप पॉलिसी लेने के स्थान पर एक अनुमोदित-उपदान निधि भी बना सकते हैं।

[1] न्यास या समिति, एस ओ २२१८ दिनांक २० अगस्त ९७

[2] उनके पद या वेतन से कोई संबंध नहीं।

२. योग्यता

यदि कोई कर्मचारी ५ वर्ष या उससे अधिक समय तक आपके साथ काम किया है तो वह उपदान का अधिकारी हो जाता है। उपदान कर्मचारी के छोड़ने[१], अवकाश लेने या सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर देय होता है। उपदान का भुगतान इसके तीस दिनों के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कम-से-कम पाँच वर्ष कार्य करने की शर्त्त लागू नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति का उपदान ज़ब्त या कम भी किया जा सकता है।

३. कितना

आपको सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कम-से-कम १५ दिन के वेतन का भुगतान करना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत उपदान की अधिकतम सीमा ३.५ लाख रुपये है। हालाँकि आप ज्यादा भी दे सकते हैं। कर्मचारी द्वारा प्राप्त उपदान इस निर्धारित सीमा तक ही आय-कर से मुक्त होता है।

उपदान की गणना करने के लिए अन्तिम वेतन को आधार माना जाता है। उदाहरण के लिए- वेंकट ने जनवरी १९८७ में १,००० रुपये मासिक पर लोक जागरण मंच में काम शुरू किया। उन्होंने अपनी नौकरी से अगस्त १९९९[२] में त्यागपत्र दे दिया। १९९९ में उनका मासिक वेतन ८,००० रुपये था। उन्हें कितना उपदान देय है ? ६०,००० रुपये।

$$\frac{\text{१५ दिन}}{\text{२६ दिन}} \times \text{१३ वर्ष} \times \text{८,००० रुपये} = \text{६०,००० रुपये}$$

हम आधार के रूप में २६ दिन क्यों लेते हैं ? अधिनियम के अनुसार एक महीने में २६ कार्य दिवस होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दैनिक आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता है तो १५ / २६ सूत्र के स्थान पर दैनिक दर (१५ दिनों से गुणित) का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही उपदान की गणना करते समय हम भत्तों, जैसे ओवरटाइम, मकान किराया भत्ता, बोनस, आदि को ध्यान में नहीं रखते हैं। केवल मूल वेतन एवं महँगाई-भत्ता को ध्यान में रखा जाता है।

---

[१] अक्षमता की कुछ परिस्थितियाँ भी इसमें आती हैं।

[२] छः माह या उससे ज्यादा का समय एक वर्ष माना जाएगा।